SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारतीय संघवाद का विकासः चुनौतियाँ और संभावनाएँ

शैलेन्द्र कुमार शर्मा, Ph.D., राजनीति विज्ञान विभाग
माँ विंध्यावाशिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पदमा, हजारीबाग, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
शैलेन्द्र कुमार शर्मा, Ph.D.
E-mail : shailendrakrsharma77@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 08/07/2024
Revised on : 07/09/2024
Accepted on : 17/09/2024
Overall Similarity : 00% on 09/09/2024

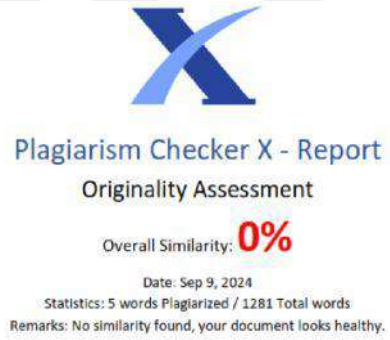

शोध सार

भारतीय संघवाद का विकास स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण, और स्वतंत्र भारत की राजनीति के जटिल इतिहास में निहित है। भारतीय संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण और संतुलन हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। यह लेख भारतीय संघवाद के विकास, उसकी चुनौतियों, और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से समझने का प्रयास करेगा। संघवाद एक शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाती हैं। भारत का संघवाद इसे एक अद्वितीय रूप प्रदान करता है, जो न केवल क्षेत्रीय विविधताओं को समायोजित करता है बल्कि विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और जातीयताओं को भी एक साथ बांधे रखने में सहायक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है, जो इसे एक संघीय व्यवस्था के रूप में स्थापित करता है।

मुख्य शब्द

भारत, संघ, संघवाद, विकास, संविधान.

भारतीय संघवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल में देखी जा सकती हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में संघीय ढांचे की नींव रखने वाला पहला महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि, इस अधिनियम में केंद्र को राज्यों पर अत्यधिक नियंत्रण प्रदान किया गया, फिर भी इसने एक संघीय व्यवस्था की ओर भारत की यात्रा का प्रारंभ किया। स्वतंत्रता के बाद, संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचे को अपनाया, जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा गया।

भारतीय संविधान ने संघीय ढांचे को अपनाते हुए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण तीन सूचियों

संसद की सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया है। यह व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है, लेकिन समय–समय पर इस संरचना के संतुलन को चुनौती देने वाले मुद्दे भी सामने आते रहे हैं।

1. **संविधान सभा की दृष्टि:** संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण एक मजबूत केंद्र और अपेक्षाकृत कमजोर राज्यों के बीच संतुलन बनाने का था। विभाजन और अन्य आंतरिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र को आपातकालीन शक्तियाँ दी गईं।
2. **संविधान के अनुच्छेद:** संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों को परिभाषित करते हैं, जबकि वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293 तक आते हैं। यह व्यवस्था राज्यों को वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच देती है, जो संघवाद की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है।

संघवाद की चुनौतियाँ

1. **राज्यों के अधिकारों का ह्रास:** समय के साथ, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप की प्रवृत्ति देखी गई है, जो संघवाद की आत्मा के विपरीत है। विशेष रूप से केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग एक बड़ा मुद्दा रहा है।
2. **वित्तीय असमानताएँ:** वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण और केंद्र द्वारा अधिकतम कर राजस्व का संग्रहण राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को प्रभावित करता है। यह असमानता नीति निर्माण और कार्यान्वयन में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।
3. **राज्यपाल की भूमिका:** राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी भूमिका भी संघवाद के लिए एक विवादित विषय रही है। राज्यपाल का पद अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है, जिससे केंद्र और राज्यों के संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है।
4. **वित्त आयोग और जीएसटी परिषद:** वित्त आयोग और जीएसटी परिषद के निर्णय केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। राज्यों का आरोप है कि केंद्र इन संस्थाओं के माध्यम से अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है।
5. **क्षेत्रीय दलों का उदय:** क्षेत्रीय दलों का उदय और उनकी बढ़ती राजनीतिक शक्ति ने भी केंद्र–राज्य संबंधों में जटिलताएँ पैदा की हैं। ये दल अक्सर राज्य की स्वायत्तता और क्षेत्रीय मुद्दों को केंद्र के खिलाफ उठाते हैं।
6. **विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन:** पंचायती राज और नगर निकायों के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास हुआ, लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों की कमी के कारण यह अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका।

संघवाद की संभावनाएँ

1. **सहकारी संघवाद:** सहकारी संघवाद का सिद्धांत केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देता है। नीति आयोग द्वारा सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के प्रयास सराहनीय हैं।
2. **संविधान में संशोधन:** संविधान में समय–समय पर संशोधन करके संघवाद को मजबूत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय शासन को सशक्त बनाया है।
3. **वित्तीय स्वायत्तता:** राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए वित्तीय आयोग की सिफारिशों का पालन किया जाना चाहिए साथ ही, जीएसटी राजस्व के वितरण में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है।
4. **क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान:** क्षेत्रीय समस्याओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण करना संघवाद को मजबूत कर सकता है। राज्यों के मुद्दों को केंद्र द्वारा संवेदनशीलता के साथ संबोधित किया जाना चाहिए।

5. **संवाद और विवाद समाधान तंत्रः** केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी संवाद और विवाद समाधान तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

संघवाद का भविष्य

भारत का संघवाद अपनी जटिलताओं के बावजूद, विभिन्न संकटों और परिवर्तनों के बीच लगातार विकसित हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लचीलापन और विविधताओं को समायोजित करने की क्षमता है। भविष्य में, यदि सहकारी संघवाद और वित्तीय संतुलन को बढ़ावा दिया जाए, तो यह भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बना सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय संघवाद ने एक लंबी यात्रा तय की है और कई चुनौतियों का सामना किया है। इसके विकास में संवैधानिक ढांचे, राजनीतिक घटनाक्रम, और सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्यों के बीच एक समन्वित और सहकारी दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि भारतीय संघवाद की संभावनाओं को पूरी तरह से साकार किया जा सके।

संघीय ढांचा न केवल भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखता है, बल्कि इसे राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का एक प्रभावी साधन बनाता है। इस दिशा में सही नीतियों और व्यवहारों के साथ, भारतीय संघवाद भविष्य में और भी सशक्त और समावेशी बन सकता है।

संदर्भ सूची

1. पांडेय, जी. एन. (2005) *भारतीय संविधान और संघवाद,* प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 45–67।
2. आहूजा, राम (2010) *भारतीय राजनीति और संघवाद,* रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 112–134।
3. शुक्ला, एस. एन. (2008) *संविधान का परिचय,* साहित्य भवन, आगरा, पृ. 78–92।
4. कश्यप, सुभाष (2013) *भारतीय संविधान का विकास,* नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 101–123।
5. चंद्र, अशोक (2011) *भारत में संघीय व्यवस्था,* विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 56–80।
6. फड़िया, बी. एल. (2015) *भारतीय सरकार और राजनीति,* सहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 89–113।
7. शर्मा, विनोद (2007) *संविधान सभा और भारतीय संघवाद,* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 95–118।
8. चंद्र, प्रकाश (2012) *संविधान और संघवाद का विकास,* वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 67–89।
9. कुमार, विजय (2014) *भारतीय लोकतंत्र और संघीय ढांचा,* लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 72–95।
10. मिश्रा, दीपक (2016) *संघीय भारतः चुनौतियाँ और भविष्य,* ज्ञान गंगा प्रकाशन, पटना, पृ. 110–132।

****